"प्ररूप-6

[नियम 13(1)और 26 देखिए]

प्ररूप सं॰. _ (कार्यालय द्वारा भरा जाए)

भारत निर्वाचन आयोग							
*Na Lindow	नए मतदाता	ओं के लिए	आवेदन	पत्र			
सेवा में,							
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर,							
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और	नाम	सं		नाम			
या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और ना	म@	सं		नाम			
(@ केवल उन संघ राज्यक्षेत्रों के लिए उ	नहां विधान सभा न	हीं है)					
मैं उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाच	क नामावली में मे	रा नाम र्सा	म्मिलित व	करने के वि	लेए आवेदन	न प्रस्त्त ब	न्रता/करती हं ।
(1)(क) नाम (राज्य की राजभाषा में)						3	^
प्रथम नाम, उसके पश्चात मध्य नाम						7 [सफ़ेद पृष्टभूमिके साथ पूरे
							चेहरे को सामने से उपदर्शित करते हुए
			l			_	अहस्थाक्षरित रंगीन पासपोर्ट
उपनाम (यदि कोई हो)						7	आकार (4.5से.मी. X 3.5से.मी.)की नवीनतम
						_	फोटो चिपकाने के लिए
(1)(ख) नाम (अंग्रेजी में, बड़े अक्षरों में)							
(1)(2)							
प्रथम नाम, उसके पश्चात् मध्य नाम						ا ا	
						1	
उपनाम (यदि कोई हो)						٦	
<u>अस्वीकरणः यदि नाम अंग्रेजी में नहीं भरा जा</u>	 ता है तो उपका म	<u>। ।</u> ऑस्टनेगर ट	वाग विप	<u> </u> रांत्रमा वि	्रा नापमा		
*(2)(क) नातेदार में से किसी एक का नाम औ		•		4(7(-7-74	741 011 (11)	L	
पिता या माता य				ी या	25.	नाशकी द्र	शा में विधिक संरक्षक /
ानसा या जासा य	4101	۷۱ _		11 41	-		की दशा में गुरु
						119 10101	ना दशा न पुर
*(2)(ख) उपरोक्त उल्लिखित नातेदार का नाम	और उपनाम (अंग्रे	जि में, बड़े	अक्षरों में	r)			
(3) स्वयं का मोबाइल सं0 (यदि उपलब्ध है)	(या)						
मद सं.2 पर उल्लिखित नातेदार की मोबा	` ′ ⊨						
(4) स्वयं का ई-मेल खाता (यदि उपलब्ध है) (या)							
मद सं.2 पर उल्लिखित नातेदार का ई-मेल खाता							<u> </u>
(5) आधार का ब्यौरे:-(समुचित बॉक्स पर सही	का निशान लगाए)					
(क) आधार सं0							या
(ख) मै आधार सं0 प्रस्तृत न	हीं कर सकता क्यो	कि मेरे पा	म भाधार	मंख्या न	हीं है।		
) लिंग पुरुष मित्री तृतीय लिंग							
(7) (क) जन्म तारीख	ता ता	/ मा	मा /	व व	व व		
(ख) आयु के सबूत के समर्थन मे दस्तावेज	की स्व:प्रमाणित	प्रति संलग्न	न है (निम	मलिखित	मे से कोई	एक)	
()							
(i) <u>जन्म तारीख के सब्त के प्रमुख दस्तावेज</u> ^;(
1. सक्षम स्थानीय निकाय/नगरपालिक प्राधिकरण / जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र							
2. आधार कार्ड 3. पैन कार्ड 4. चालन अनुज्ञप्ति 5. सीबीएसई/आईसीएसई/राज्य शिक्षा बोर्डो द्वारा जारी कक्षा 10 6. भारतीय पासपोर्ट							
	•			i.	भारताय	पासपाट	
या 12 का प्रमाणपत्र, यदि इ	नमें जन्म तारीख	अतिविष्ट है	1				
ii) जन्म तारीख के सबूत के लिए कोई अन्ये दस्तावेज़:-(यदि कोई प्रमुख दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं हो) (कृपया विनिर्दिष्ट करे)							
(0)(7)		\`` ÷^				-9	
(8)(क) वर्तमान साधारण निवास(पूरा पता)	मकान/भवन/अपार			गली/क्षेत्र/स्थानीय क्षेत्र\मोहल्ला/रोड			
नगर/गाँव			डाक घर				
	पिन कोड				तहसील/त	ालुका/मंडल	Г
	ਗਿਕਾ				राज्य/संघ	राज्यक्षेत्र	

(ख) या तो आवेदक के नाम में या माता-पिता/पित-पत्नी/वयस्क बच्ची, यदि उसी पते पर निर्वाचक के रूप में पहले से ही नामांकित हैं, में से किसी एक के नाम में पते की स्व:प्रमाणित प्रति (उनमें से कोई एक संलग्न करे)
(i) <u>निवास के सब्त के रूप मैं प्रमुख दस्तावेज^:-</u> (इनमें से कोई एक)
1. उस पते पर पानी/बिजली/गैस कनैक्शन बिल (कम से कम 1 वर्ष का) 2. आधार कार्ड 3. राष्ट्रीय/अनुसूचित बैंक/डाक घर की वर्तमान पास बुक 4. भरतीय पासपोर्ट
 राजस्व विभाग का भूमि स्वामित्व अभिलेख, जिसमें किसान बही भी है राजस्ट्रीकृत किराया पट्टा विलेख (किराएदार की दशा में) राजस्ट्रीकृत विक्रय विलेख (स्वयं के घर की दशा मे)
(ii) <u>निवास के सब्त के लिए कोई अन्य दस्तावेज: -</u> (यदि प्रमुख दस्तावेज उपलब्ध नहीं है) (कृपया विनिर्दिष्ट करें) #
(9)दिव्यांगता का प्रवर्ग, यदि कोई हो (वैकल्पिक) चिलित हिष्ट मूक-बिधर यदि कोई और हो (वर्णन करें)
दिव्यांगता का प्रतिशत 🥒 % प्रमाणपत्र संलग्न (समुचित बॉक्स पर निशान लगाएँ) 📗 हां नहीं
(10) मेरे परिवार के सदस्यों, जिनके नाम वर्तमान पते पर निर्वाचक नामावली में पहले से ही सम्मिलित है और जिनके साथ मैं वर्तमान में रह रहा हूँ, के ब्यौरे निम्नानुसार है: परिवार के सदस्य का नाम:
उसका निर्वाचक फोटो पहचान पत्र सं॰:
घोषणा मैं घोषणा करता हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, (i) में भारत का नागरिक हूं और मेरे जन्म का स्थान है :
निर्वाचन क्षेत्र के लिए मेरा नाम पहले से ही सम्मिलित नहीं किया गया है।
(iv) मेरे पास ऊपर 7 ख (i) में उल्लिखित जन्म तारीख/आयु सबूत के प्रमुख दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज नहीं है। अतः मैंने आ सबूत के समर्थनमें (दस्तावेज का नाम) संलग्न किया है (यदि लागू न हो, तो काट दें)।.
(v) मुझे ज्ञान है कि इस आवेदन के संबंध में ऐसा उपरोक्त कथन या घोषणा करना, जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का मुझे ज्ञान
या विश्वास है या जिसके सत्य होने का में विश्वास नहीं करता/करती हूं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 (1950 का 43) की धारा 3 के अधीन कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय अपराध होगा।
तारीखः स्थान: आवेदन के हस्ताक्षर/ बाएं हाथ के अंगूठे का निशान
अभिगम्यता अनुदेश:- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के उपबंध के आलोक में, बौद्धिः
दिट्यांगता, स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात और बहु दिट्यांगता आदि वाले ट्यक्ति की दशा में, दिट्यांग ट्यक्ति का हस्ताक्षर या बाएं हाथ द अंगूठे का निशान या उसके / उसकी विधिक संरक्षक का हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अपेक्षित होगा ।
<u>टिप्पण</u> - ∗ विवाहित स्त्री आवेदक की दशा में, अधिमानतः पति का नाम उल्लिखित किया जाए।
* विवाहित स्त्रा आवदक का देशा में, आधमानतः पात का नाम अल्लाखत किया जाए। ^ उल्लिखित दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति का प्रस्तुत किया जाना सेवाओं के त्वरित परिदान को सुनिश्चित करेगा ।
उल्लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने की दशा में, मौका सत्यापन आवश्यक है। उदाहरणार्थ, प्रवर्गों, जैसे गृहविहीन भारतीः
नागरिकों, जो निर्वाचक होने के लिए अन्यथा योग्य है, लेकिन जिनके पास साधारण निवास के सबूत का कोई दस्तावेज नहीं है निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, मौका सत्यापन के लिए किसी अधिकारी को पदाभिहित करेगा।
अावेदन के लिए स्वीकृति / रसीद
अभिस्वीकृति संख्या तारीख
श्री/श्रीमती/ सुश्रीका प्ररूप 6 में आवेदन प्राप्त हुआ।
[आवेदक, आवेदन की प्रास्थिति जांचने के लिए अभिस्वीकृति संख्या का संदर्भ ले सकता है।]
ईआरओ/एईआरओ/बीएलओ का नाम / हस्ताक्ष